न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–113सन् 2017

सुरेश प्रसाद......................वादी।

बनाम

जानकी राम वगैरह..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 27.03.2024

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.01.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 मुन्द्रिका प्रसाद थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.10.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 03 मुन्द्रिका प्रसाद का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 19.02.2024 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 मुन्द्रिका प्रसाद थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.10.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 30.01.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक..........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।